उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

/42/2013 तारीख रजू ....

राम बनाम गिर्राज आदि

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/3/13	वकील वादी उपस्थित / यह दावा वकील वादी ने पेश किया / दर्ज पंजिका हो / प्रतिवादीगण को समन तलब हो / पत्रावली दिनांक 15/4/13 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	ON 9628 8/3/13
15/4/13	बकुलाय रीडर, उप./P.O. साहब ... छुट्टी पर होने से ... पत्रावली दिनांक ... / ... 1405 की ओर से जवाब ... पेश किया / पत्रावली दिनांक 23/5/13 को पेश हो	
23/5/13	बकुलाय रीडर उप./P.O. साहब ... अवकाश ... पत्रावली दिनांक 23/5/13 को पेश हो	
23/5/13	पक्षकारान उपस्थित / वास्ते जवाबदावा नं. 1405 व तलबी नं. 6 पत्रावली दिनांक 21/6/13 को पेश हो / नं. 6 का सही पता का तामील हेतु तलबाना पेश हो SDOK	
21/6/13	पक्षकारान उपस्थित / वास्ते जवाबदावा 1405 व तलबी नं. 6 पत्रावली दिनांक 23/8/13 को पेश हो SDOK	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/1/24	वकुलाय उपस्थित। वादी राम के द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार कर दया राम के हिस्से तक खारिज किया जाकर दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर शेष वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया। जाकर स्था० बि० किया गया। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली मेम्बर दुरुस्त होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील जिला प्रविष्ठ लेख अभ्यार हो। हुक्म SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिगोनियां आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 01/42/2013

वउनवान

1. राम पुत्र गिर्राज जाति तेली निवासी कठूमर तहसील कठूमर
2. लक्ष्मण पुत्र गिर्राज जाति तेली निवासी कठूमर तहसील कठूमर

वादीगण

बनाम

1. शिब्बो पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
2. सोनी पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
3. संतोश पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
4. विजेन्द्र पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
5. बृजमोहन पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
6. मु0 कालिया पुत्री रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहकव हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः--श्री कृपादयाल राणा – अधिवक्ता वादी सं0 1
श्री थानसिंह कर्दम –अधिवक्ता वादी सं0 2
श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेटस– अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 16.01.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहकव हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 922 रकवा 2 वीघा 18 बिस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण के बुजुर्ग सोन्या

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी उसके फौत होने पर विवादित आराजी विरासत में उसके तीन पुत्र गिर्राजप्रसाद (वादीगण के पिता) भगवान व मंगू को विरासत में प्राप्त हुई है जो तीनों ही फौत हो चुके है मंगू लावल्द बिना औलाद फौत हुआ है तथा भगवान करीब 33 साल पूर्व फौत हो गया उसका कोई वारिस वारिस नहीं है। गिर्राजप्रसाद के हक दोनों वादीगण जायज वारिस है। उक्त आराजी वादीगण को विरासत में मिलने से वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के पिता रामबोल का विवादित आराजी से कभी कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा। रामबोल के फौत हो जाने पर प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा। ग्राम कठूमर का बन्दोबस्त संवत् 2028 में सम्पूर्ण हुआ था। दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण के पिता श्री रामबोल ने बन्दोबस्त कर्मचारियान से बेजा साज बाज होकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियान को तो पूर्व इन्द्राज ही रिपीट कर वादीगण के बुजुर्ग सोन्या की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी सोन्या की खातेदारी को खत्म कर प्रतिवादीगण के पिता रामबोल के नाम खातेदारी दर्ज करने का बन्दोबस्त कर्मचारियान अधिकारियान को कोई हक व अधिकार नहीं था। बन्दोबस्त का इन्द्राज गलत, अवैधानिक व गैरकानूनी है जिससे प्रतिवादीगण को किसी तरह के हक व अधिकार पैदा नहीं होते। विवादित आराजी बाबत हाल राजस्व रेकार्ड में गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है तथा रहन बय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर स्वयं की खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि दाबान्तर्गत आराजी विवादित आराजी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। खसरा नम्बर हाल 822 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 880 रकबा 2 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

18 विस्वा वाके ग्राम कठूमर सोन्या की खातेदारी की अवश्य थी इसके अलावा खसरा नम्बर हाल 805 रकवा 2 वीघा 15 विस्वा व खसरा नम्बर 1351 रकवा 3 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम कठूमर भी सोन्या की खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी का सोन्या ने अपने जीवनकाल में उसके तीन लडके गिर्राजप्रसाद, भगवानसहाय वो प्रभू के वीच घरेलु वंटवारा कर दिया था भगवानसहाय व प्रभू दोनों ना औलाद थे जो अपने माता पिता के साथ रहते थे तथा गिर्राजप्रसाद सबसे वडा भाई था इस गिर्राजप्रसाद को सोन्या ने अपने जीवनकाल में ही अलग कर दिया था तथा गिर्राज प्रसाद को खसरा नम्बर 805 रकवा 2 वीघा 15 विस्वा व 1351 रकवा 3 वीघा 3 विस्वा दे दिया तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 922 भगवानसहाय व प्रभू को दे दी तथा वाद वंटवारा सोन्या सन् 1963 के आस पास फौत हो गया जिस वंटवारा के वाद विवादित आराजी को भगवानसहाय व प्रभू काश्त करने लगये व खसरा नम्बर 805, 1351 को वादीगण के पिता गिर्राजप्रसाद काश्त करने लगे विवादित आराजी से वादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना कभी रहा। बन्दोवस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी मौका कब्जा के आधार पर सही दर्ज की है। विवादित आराजी को भगवानसहाय व प्रभू शामलात में काश्त करते थे जिनको घरू आवश्यकता के लिये रूपयों की जरूरत होने के कारण उक्त आराजी को दिना 12.05.1966 को प्रतिवादीगण के पिता रामबोल को एक हजार रूपया में रहन रख दी व कब्जा करा दिया। रहन के दौरान प्रभू फौत हो गया जो उक्त आराजी को रहन फक नहीं करा पाया। जिस पर भगवानसहाय ने विवदित आराजी को दिनांक 29.07.1969 को प्रतिवादीगण के पिता रामबोल सुनार को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान कर दिया कब्जा प्रतिवादीगण के पिता का वक्त रहन से चला आ रहा था। जव 1970 में बन्दोवस्त हुआ तो वन्दोवस्त कर्मचारियान ने रजिस्टर्ड वयनामा व कब्जा के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता रामबोल की खातेदारी दर्ज कर दी। रामबोल के फौत हो जाने पर विवादित आराजी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर मौजूदा दावा पेश किया है प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। वादीगण विवादित आराजी वावत ना तो खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी है और ना

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने दावा मियाद वाहर पेश किया है जो खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल मिसल बन्दोबस्त,, खसरा गिरदावरी, विभिन्न नकल जमाबन्दी वाके ग्राम कठूमर की सत्य प्रतिलिपी पेश की है जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में व प्रतिवादीगण ने अपने जवाव दावा के समर्थन में वार वार साक्ष्य को मौका दिये जाने पर भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की। अदालत हाजा द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गयी। वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल तनकी कायम की गयी–

(1) आया आ0ख0नं0 922 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर वांदीगण के बुजुर्ग सोन्या की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण आराजी मुतनाजा की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने क अधिकारी है –वादीगण

(2) आया आराजी मुतनाजा बुजुर्गो से वादीगण को विरासत में प्राप्तहुई जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काविज है वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है – वादीगण

(3) आया प्रतिवादीगण के पिता रामबोल का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं था और ना आज है तथा सैटलमेंण्ट विभाग संवत् 2028 में खिलाफ मौका वो खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के पिता रामबोल के नाम गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्त कराने के अधिकारी है –वादीगण

(4) आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है –– वादीगण

(5) आया आराजी खसरा नम्बर हाल 922 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा वाके ग्राम कठूमर पर प्रतिवादीगण का कब्जा है सैटलमेंण्ट ने प्रतिवादीगण का इन्द्राज सही किया है जिसे निरस्त कराने के वादीगण अधिकारी नही है --प्रतिवादीगण

(6) आया आराजी प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आराजी है – प्रतिवादीगण

(7) दादरसी तनकी संख्या 1 ला0 3 समान नेचर की है जिनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान अपने दावा के तथ्यों का अवलोकन किया व विवादित आराजी तमाम राजस्व रेकार्ड में वादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी में दर्ज होना व बन्दोवस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियान द्वारा दौरान बन्दोवस्त वादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी खत्म कर प्रतिवादीगण के पिता रामबोल सुनार के नाम कर दिया जाना कथन किया तथा वादीगण ने हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी वहस में अपने जवाव दावा के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता की खरीदशुदा है जिस पर वन्दोवस्त के पूर्व से प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा है। बन्दोवस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारियान ने मुताविक मौका कब्जा व वयनामा के प्रतिवादीगण के पिता रामबोल सुनार की खातेदारी दर्ज की है। वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो खारिज किया जावे। खसरा गिरदावरी संवत् 2014 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 880 सोन्या पुत्र गोपाल तेली सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2019 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 880 सोन्या पुत्र गोपाल तेली की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2011 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 880 सोना पुत्र गोपाली सा0 देह दर्ज है जमाबन्दी 2066 में खसरा नम्बर हाल 922 प्रतिवादीगण के पिता रामबोल की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने सोन्या को अपना बुजुर्ग होना व उक्त आराजी वादीगण को सोन्या से विरासत में होना कथन किया है। व साथ ही प्रतिवादीगण ने यह भी कथन किया गया की उक्त आराजी सोन्या की थी अतः मुख्य प्रश्न यही पैदा होता है की उक्त जमीन प्रतिवादीगण के नाम कैसे आयी है सोन्या के तीन पुत्र गिर्राजप्रसाद, भगवान व प्रभू है जो तीनों फौत हो गये। भगवान व प्रभू लाबल्द फौत हो चुके है इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण को विरासत में मिली है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता का नाम वन्दोवस्त कर्मचारियान ने किस आधार पर दर्ज किया है प्रतिवादीगण सावित नहीं कर पाये। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों को पुराने

कर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था बन्दोवस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के पिता रामबोल सुनार के नाम उक्त आराजी खातेदारी में गलत दर्ज किया गया है। अतः वादीगण राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण के पिता रामबोल की खातेदारी खत्म कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः तनकी संख्या 1 ला0 3 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 तनकी संख्या 1 ला0 3 के विस्तृत विवेचन से वादीगण विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी पाये गये है तथा विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा वहैसियत खातेदार सावित हुआ है अतः वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः तनकी सं0 4 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है इस तनकी को सावित करने के लिये प्रतिवादीगण ने किसी तरह का दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये है। उपरोक्त तनकियों के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा पाया गया है सैटलमेंण्ट कर्मचारियान द्वारा वादीगण के वुजुर्गान की खातेदारी किस आधार पर खत्म की व प्रतिवादीगण के पिता के नाम किस आधार पर खातेदारी दर्ज की है प्रतिवादीगण सावित करने में असफल रहे है। अतः गलत इन्द्राज को वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खरीदशुदा है प्रभू व गिर्राजप्रसाद की जमीन प्रतिवादीगण के पिता रामबोल के नाम केसे हुई इसे सावित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। तथा वादीगण के द्वारा यह भी कथन किया गया की इसके हम दो ही लीगल वारिस है जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है। अतः तनकी संख्या 6 विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है। साथ में ही एक प्रार्थना पत्र वादी राम के वकील द्वारा दौरान बहस पेश कर वादी राम के हिस्से तक दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई प्रार्थना पत्र को पढा गया

उपखण्ड अधिकारी

व सुना गया शामिल मिसल किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दावा खारिज कराने बाबत् स्वीकार कर दावा वादी राम के हिस्से तक खारिज किया जाता है।

उपरोक्त सभी तनकियां वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गयी है। अतः वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण किसी तरह के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी सावित होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक वहुक्मइन्तनाईसावित होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर डिकी किया जाकर वादी संख्या 2 लक्ष्मण पुत्र गिर्राज की आराजी खसरा नम्बर 922 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा का 1/2 हिस्से का वाके ग्राम कठूमर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के नाम हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार के इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 16.01.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/42/2013

बउनवान

1. राम पुत्र गिर्राज जाति तेली निवासी कठूमर तहसील कठूमर
2. लक्ष्मण पुत्र गिर्राज जाति तेली निवासी कठूमर तहसील कठूमर

डिक्रीदारान

बनाम

3. शिब्बो पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
4. सोनी पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
5. संतोष पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
6. विजेन्द्र पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
7. बृजमोहन पुत्र रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर
8. मु0 कालिया पुत्री रामबोल जाति सुनार निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

मदयूनान

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक वहुक्मइन्तनाई साबित होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादी संख्या 2 लक्ष्मण पुत्र गिर्राज की आराजी खसरा नम्बर 922 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा का 1/2 हिस्से का वाके ग्राम कठूमर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के नाम हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार के इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे।

आज दिनांक 16.01.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

सुनील कुमार झिंगोनियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.